इकाई 11 आपातकालीन प्रावधान*

संरचना

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

11.2.1 संविधान सभा में बहस

11.3 आपातकाल के प्रकार

11.3.1 राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

11.3.2 राज्यों के आपातकाल (अनुच्छेद 356)

11.3.3 वित्तिय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

11.4 आपातकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग

11.5 सारांश

11.6 उपयोगी संदर्भ

11.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

11.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप यह जान सकेंगे :

- आपातकालीन प्रावधानों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य;
- आपातकाल के प्रकार;
- आपातकाल के प्रावधानों की प्रमुख विशेषताएं; और
- आपातकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग।

11.1 प्रस्तावना

आपातकाल वह है जब कार्यपालिका किसी राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। भारत में, इस प्रकार के प्रतिबंध संविधान के प्रावधान के तहत् लगाये जाते है। जिन्हें हम आपातकालीन प्रावधान कहते हैं। आपातकाल कुछ गंभीर परिस्थितियों में लगाया जाता है। जैसे – युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक उथल–पुथल, सैनिक विद्रोह या वित्तिय संकट, इत्यादि। यह लोगों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के बीच रखा गया है। आपातकाल की घोषणा का आदेश राष्टपति द्वारा पारित किया जाता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर यह घोषणा करता है। हालांकि आपातकाल के दौरान वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। आपातकाल के दौरान संघीय कार्यपालिका राज्यों की कार्यपालिका को निर्देश भी दे सकती है तथा परिस्थिति संसद कानून भी बना सकती है जो कि संघीय सूची में शामिल न हो। आपातकाल के दौरान राज्य की सत्ता केन्द्र की सत्ता के अधीन कार्य करती है।

*जयंत देबनाथ, सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान संकाय, मृनालिनी दत्ता, महाविद्यापीठ, कोलकता।

11.2 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने की जरूरत भारत में कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में महसूस की गयी थी। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का विवरण है जो कि विश्व के अन्य संविधानों से लिया गया था, विशेषकर जर्मनी से एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान सम्मिलित किये गये हैं जिसमें आपातकालीन प्रावधान थे। केन्द्र के मामले में खण्ड 45 तथा प्रांतों में खण्ड 93 का प्रावधान दिया गया था। इसमें मुख्य कार्यपालिका को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मकसद था भारत में प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान करना। लेकिन इसके आपातकालीन प्रावधान भी थे जिसमें प्रांतों की स्वायत्ता पर प्रतिबंध का भी प्रावधान था। इसके अंदर केन्द्र एवं प्रांतों की इकाइयों के बीच संबंधों का प्रश्न था। अधिनियम ने यह सुझाव दिया कि केन्द्र को प्रांतों के मामलों में दखल देना चाहिये यदि कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो गयी हो जैसे कि युद्ध, आंतरिक अशांति इत्यादि। ऐसे मामलों में जहां प्रशासन की कार्यप्रणाली ठप्प हो गयी हो। ऐसे समय में, जब केन्द्र के पास कानून बनाने की शक्ति आ जाती है तब केन्द्र को सभी मामलों में कानून बनाने का अधिकार आ जाता है। प्रांतीय विषयों में भी केन्द्र कानून बनाने का अधिकार रखता है। प्रांतों में गवर्नर जनरल को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अलावा जर्मनी के संविधान से भी आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल करने में काफी योगदान रहा। गवर्नर जनरल के पास विशेष जिम्मेदारी दी, भारत में शांति एवं व्यवस्था कायम करने की। वे प्रांतीय सरकारों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने को अधिकृत थे। तथा वे राज्यपाल के प्रमुख सूचना के स्त्रोत भी थे।

11.2.1 संविधान सभा में बहस

संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने के उपर संविधान सभा के सदस्यों के बीच काफी मतभेद थे। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार, ए. के. अय्यर, और के. एम. मुंशी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के समर्थक थे। के. एम. मुंशी ने इस बात का समर्थन किया कि आपातकाल के समय केन्द्र सरकार को यह अधिकार होना चाहिये कि वह स्वतंत्रता के अधिकार को निरस्त कर सके। उनके विचारों को ''अधिकारों की उप–समिति'' ने भी समर्थन किया। एक या दो को छोड़कर। अय्यर ने यह सुझाव दिया कि संविधान में उल्लेखित अधिकार लोक सम्मत, सुरक्षा एवं रक्षा तक महत्व रखते है। उन्होंने अपने विचारों को इन उदाहरणों से सही साबित किया कि बंगाल एवं असम में काफी गड़बड़ी थी तथा पंजाब एवं उत्तर पूर्वी प्रांतों में सांप्रदायिक दंगे थे। हालांकि मूल अधिकारों को निरस्त करने के सुझाव का तीन लोगों ने विरोध किया था। वे थे के. टी. साह, एच. वी. कामथ तथा एच. एन.कुजरू। वित्तिय आपात के संदर्भ में एच. एन. कुन्जरू ने कहा कि ये राज्य के वित्तीय स्वायत्ता के लिए काफी गंभीर खतरा है। दोनों प्रकार के विचारों के बाद समिति ने एक नया संस्करण तैयार किया। ताकि आपातकाल के समय अधिकारों को निरस्त करने को समर्थन नहीं किया। इस नये संस्करण ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संविधानिक उपचारों के तहत् संसाधनों के निरस्तीकरण को मंजूरी दी। मौलिक अधिकारों के निरस्तरीकरण को न्यायिक समीक्षा की परिधि से दूर रखा गया जब तक कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन पारित नहीं हुआ।

11.3 आपातकाल के प्रकार

जैसा कि आप पढ़ चुके हैं भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहां यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपातकाल के दौरान, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किये जाते है, लेकिन वास्तव में असली शक्तियां केन्द्र सरकार या प्रधानमंत्री के पास होती है। हमारे यहां तीन प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था है जो कि विभिन्न आधारों पर घोषित की जाती है। ये तीन आपातकाल है – राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों के अंदर आपातकाल तथा वित्तिय आपातकाल। आये इनके बारे में नीचे विस्तार से पढ़ेगे।

11.3.1 राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल इन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है :– युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक उथल–पुथल या सशस्त्र विद्रोह संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में । 44 वे संशोधन में 'आंतरिक उथल–पुथल' शब्द का बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। राष्ट्रपति केबिनेट के निर्णय के पश्चात् आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कैबिनेट लिखित में आपातकाल के पक्ष में यह निर्णय लेती है फिर वह राष्ट्रपति को बताती है। राष्ट्रपति राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए एवं अपने आप को संतुष्ट मानते हुए ऐसी घोषणा करते हैं। अनुच्छेद 359 एवं 359 के अनुसार राष्ट्रपति को मूल अधिकारों को निरस्त करने का अधिकार है सिवाय अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के। (जुर्म के मामले में सुरक्षा करने का अधिकार तथा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केन्द्र सरकार की शक्तियां राज्यों के विधायी एवं कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र तक पहुंच जाती है। केन्द्र, राज्यों को कार्यपालिका शक्तियों को ठीक से इस्तेमाल करने का निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 353 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संघ सूची में शामिल नहीं किये विषयों पर भी कानून बना सके। इसमें राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय भी शामिल है (अनुच्छेद 250)। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्तिय संसाधनों का आंवटन कर सके (अनुच्छेद 253)। किसी भी प्रकार की आपातकाल को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना आवश्यक है। यदि दोनों सदन एक महीने के अंदर आपातकाल की घोषणा को मंजूरी नहीं देते है तो ऐसी स्थिति में आपातकाल निरस्त माना जायेगा। यदि आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी आपातकाल को समाप्त कर दिया जायेगा। यदि यह मामला राज्य सभा में पारित हो लेकिन लोकसभा में नहीं तो भी घोषणा निरस्त मानी जायेगी। इसके लिए एक महीने का समय निर्धारित किया गया है। आपातकाल की घोषणा यदि दोनों सदनों द्वारा पारित कर दी जाती है तो यह छः महीने पश्चात् समाप्त हो जायेगी। इसे छः महीने के लिये आगे और बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा को मंजूरी के लिए दो–तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों में उपस्थित सदस्य इस पर मतदान करते हैं। इसके अलावा यदि लोक सभा आपातकाल की घोषणा के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दे तो यह अमान्य हो जायेगी। यदि ऐसे प्रस्ताव का नोटिस सदन के कुल सदस्यों को दसवाँ भाग इस पर हस्ताक्षर करके राष्टपति को दे या लोकसभा अध्यक्ष को दे तो इसपर 14 दिनों के अंदर एक विशेष सत्र बुलाया जाता है ताकि इस पर चर्चा हो सके।

भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है तथा संविधान की व्याख्या भी कर सकती है। यदि कानून संविधान के

प्रावधानों के अनुसार नहीं है तो वह ऐसे कानून को अमान्य घोषित कर सकती है। लेकिन आपातकाल की घोषणा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायिक समीक्षा की परिधि से हटा दिया गया है। लेकिन 1978 में फिर से 44वें संशोधन द्वारा इसे बहाल कर दिया गया। आपातकाल की घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा दो महीने के भीतर मंजूरी लेना जरूरी है। यदि इस समय के अंतर्गत संसद से मंजूरी नहीं ली गयी तो यह आपातकाल निस्प्रभावी माना जायेगा। एक बार संसद से मंजूरी लेने के बाद आपातकाल छः महीने तक जारी रहता है जब तक कि राष्ट्रपति इसे समय पूर्व हटा नहीं लेते।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तीन बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। पहला, 1962 से 1968 तक, जब भारत एवं चीन के बीच युद्ध हुआ था। दूसरी बार 1971 से 1977 तक जब भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तथा तीसरी बार 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। पहले दो बार आपातकाल युद्ध की वजह से लगाया गया था लेकिन तीसरी बार आपातकाल केन्द्र सरकार द्वारा आंतरिक उथल–पुथल की वजह से लगाया गया था।

11.3.2 राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 356)

राज्य आपातकाल प्रायः राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यों के अंतर्गत आपातकाल तब लगाया जाता है, जब राज्यों में संविधानिक संकट उत्पन्न हो गया हो। लगभग सभी राज्यों में केवल दो राज्यों को छोड़कर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो कि अभी नये राज्य बनाये गये हैं अलग–अलग समय पर आपातकाल लगाया जा चुका है। राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है जब वे राज्यपाल द्वारा दी गयी रिपोर्ट से संतुष्ट हो गये हों कि राज्य में संविधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया है। राष्ट्रपति शासन इन परिस्थितियों में लगाया जाता है :– यदि राज्य विधानमंडल अपने नेता यानी मुख्यमंत्री चुनने में असफल हो गया हो, गठबंधन का बिखर जाना, यदि कुछ कारणों से चुनाव नहीं कराये जा सके हों तथा विधान सभा में सरकार का बहुमत खो देना। हालांकि राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यपाल ही राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य की बागडोर संभालते है। इसे हम राज्यों में केन्द्र शासन भी कहते है। केन्द्र शासन को राष्ट्रपति शासन कहते है। यह जम्मू एवं कश्मीर में नहीं लगाया जाता, उसमें केवल राज्यपाल का शासन होता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल के द्वारा कार्यपालिका एवं विधायिका की शक्तियों का इस्तेमाल करता है। लेकिन उनके कार्यो में न्यायपालिका के कार्य नहीं आते है।

11.3.3 वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद–360)

अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल भारत में वित्तीय अस्थिरता या संकट की स्थिति में लगाया जाता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। यदि भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने की नौबत आई तो इसे संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना होगा। यदि इस दौरान लोकसभा का विघटन हो जाये तो वित्तीय आपात भी स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। तीस दिनों की समाप्ति के बाद तथा यह पुनर्गठन तक जारी रहेगा। वित्तीय आयात के दौरान राष्ट्रपति सरकारी अफसरों के वेतन एवं भत्तों में कटौती करने का आदेश दे सकता है उनमें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल होंगे। यहां तक कि अनुच्छेद 207 के अधीन धन विधेयकों तथा अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाए जब वे राज्य विधानमंडलो द्वारा पारित कर दिये जाऐं। जम्मू और कश्मीर के मामले में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसे अनुच्छेद 370 के तहत् विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है।

अभ्यास प्रश्न 1

नोट: i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों की जाँच इस इकाई के अन्त में दिए गए आदर्श उत्तरों से करें।

1) भारत में आपातकालीन प्रावधानों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या था?

.....

.....

.....

.....

.....

2) भारतीय संविधान में दिये गये आपातकाल के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

11.4 आपात प्रावधानों का दुरूपयोग

जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि आपातकालीन प्रावधानों का प्रयोग भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने एवं राष्ट्रपति शासन लगाने में किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। दो बार देश में बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जिसमें 1962 में भारत–चीन युद्ध के समय तथा 1971 में भारत–पाक युद्ध के समय। लेकिन 1975 में इसे राजनीतिक कारणों से इसका प्रयोग किया गया था। असली समस्या तब खड़ी हुई जब अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने 1975 में भाषण की आजादी एवं संगठन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। राष्ट्रीय आपातकाल की उस समय बहुत आलोचना हुई थी। श्रीमती इंदिरा गाँधी ने ऐसा इसलिये किया क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसला श्रीमती इंदिरा गाँधी के विपरीत था। इन परिस्थितियों में जयप्रकाश नारायण ने सेना, पुलिस तथा सरकारी कर्मचारियों को इस आदेश को मानने से मना किया। क्योंकि ये आदेश उनकी राय में गलत था। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश पी. एन. राय को भी चुनाव की अपील सुनने से मना किया था। सभी विपक्षी दलों ने लोक संघर्ष समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जय प्रकाश नारायण थे। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जिसे जनता का व्यापक समर्थन भी मिला। भारत के संविधान निर्माताओं ने यह इच्छा जताई थी कि आपातकालीन प्रावधान केवल आपातकालीन परिस्थितियों – युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक उथल–पुथल, सैनिक विद्रोह या वित्तीय संकट में ही लागू किये जायेंगे। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की आशंका के बारे में चेतावनी देते हुए डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कहा ''कभी इसका प्रयोग न किया जाए, सिवाय अंतिम विकल्प के रूप में जब अन्य सभी विकल्प असफल हो गए हों।'' आपातकालीन प्रावधान स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1990 तक केवल राजनीतिक दुर्भावना के लिये दुरुपयोग किये गये थे। हालांकि

21वीं सदी में, इनके दुरुपयोग में कमी आई है। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा जो कि केन्द्र सरकार में शासन में थे, इन प्रावधानों का दुरुपयोग किया है। इन दलों द्वारा राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारों को हराने के लिये अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया तथा वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कई अवसरों पर भारत में, इन प्रावधानों का केन्द्र सरकार द्वारा दुरुपयोग किया गया चाहे कांग्रेस हो या फिर गैर–कांग्रेस दोनों ही द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है केरल में कम्युनिष्ट पार्टी के नेता ई. एम. एस. नम्बूदीरीपाद की सरकार को केन्द्र ने 1957 में बर्खास्त कर दिया था। यह सबसे पहला उदाहरण था किसी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने तथा आपातकालीन प्रावधान का उपयोग करने का। 1980 में, इंदिरा गाँधी सरकार ने विभिन्न राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारों को बर्खास्त किया था। गैर कांगेसी सरकारों ने भी इस प्रावधान का दुरुपयोग किया है। यहां पर इसके दो प्रमुख उदाहरण हैं। पहला उदाहरण 1977 में जनता पार्टी सरकार का है जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। दूसरा उदाहरण जनता दल सरकार का जब वी. पी. सिंह प्रधानमंत्री थे। इन दोनों उदाहरणों में कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त किया गया था।

राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रायः आलोचना हुई है। प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि केन्द्र सरकार ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की सरकारों को बर्खास्त किया और राष्ट्रपति शासन लगाया। 1994 के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने में कमी आई हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने बोमई केस में अपना फैसला सुनाया था। बोमई फैसले के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिलनी चाहिए। इसने धारा 356 के दुरुपयोग को कठिन बना दिया है।

अभ्यास प्रश्न 2

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों की जाँच इस इकाई के अन्त में दिए गए आदर्श उत्तरों से करें।

1) आपातकालीन प्रावधानों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

11.5 सारांश

आपातकाल वह स्थिति है जब लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकार निरस्त कर दिये जाते है तथा केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की शक्तियाँ अपने पास ले लेती है। आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति के पास हैं। राष्ट्रपति मंत्रीमंडल की सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल तब लगाया जाता है जब युद्ध, बाहरी या आंतरिक उथल–पुथल या वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हो। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधानों को भाग 18 में, अनुच्छेद 352–360 के मध्य रखा गया हैं। तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है :– राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है और यह तभी लगाया जाता है जब बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गयी हो। राज्यों के अंदर आपातकाल

अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में राष्ट्रपति मंत्रीमंडल की सलाह पर ही अध्यादेश ला सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यों में भी राज्यपालों की रिपोर्ट के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वित्तीय आपात आर्थिक संकट को दूर करने के लिये लगाया जाता हैं। भारत में राष्ट्रीय आपात तीन बार लगाया गया है। लेकिन अनुच्छेद 356 का प्रयोग कई बार किया जा चुका है। वित्तीय आपात का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया हैं। अनुच्छेद 360 का प्रयोग संपूर्ण भारत में किया जा सकता है सिवाय जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। इस प्रावधान का प्रयोग प्रायः राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिये भी किया जाता है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिये, आपातकाल के प्रावधानों का प्रयोग बहुत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिये।

11.6 उपयोगी संदर्भ

ऑस्टिन, ग्रेनविल (1966), भारतीय संविधान, राष्ट्र की आधार शिला, बंबई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

बक्षी, पी. एम. (2012), भारत का संविधान, नई दिल्ली, यूनिवर्सल ला प्रकाशन।

बसु, डी. डी., (1960), भारतीय संविधान का निर्माण एवं कार्य प्रणाली, एन. बी. टी. नई दिल्ली, एन.बी.टी.।

चौबे, एस. के. (2000), भारतीय संविधान का परिचय, कलकत्ता, एस. सी. सरकार एंड संस, प्राइवेट लिमिटेड।

कश्यप, सुभाष (2011), हमारा संविधान, नई दिल्ली, एन. बी. टी.।

11.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) भारतीय संविधान ने आपातकालीन प्रावधानों को वीमंर संविधान (जर्मनी) तथा भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिया था। संविधान सभा में, इसके पक्ष एवं विपक्ष में राय अलग–अलग बंटी हुई थी।

2) आपातकाल तीन प्रकार है। राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्तीय। आपातकाल के दौरान, लोगों के अधिकारों को निरस्त कर दिया जाता है।

अभ्यास प्रश्न 2

1) संविधान की मुख्य विशेषताएं हैंः केवल राज्य का अध्यक्ष एक आपातकाल की घोषणा एक अध्यादेश द्वारा कर सकता है। धारा 356 के द्वारा कोषित आपातकाल के अलावा सभी आपातकालों की घोषणा इस बात निर्भर करती है कि राष्ट्रपति इसके लिए संतुष्ट है या नहीं।